संख्याः 260 /XXIV-2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल,देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 26 अक्टूबर,2005

विषयः जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल के भवन निर्माण हेतु जिला योजनान्तर्गत पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4/30337/कार्यालय भवन/2005–06 दिनांक 9–9–2005 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 755/XXIV-2/2005 दिनांक 10–11–2004, जिसके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल के भवन निर्माण की रू0 90.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन की सुरक्षा की दृष्टि से कतिपय कार्य कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल के भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नैनीताल द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 128.78 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 90.20 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 38.58 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 13.00 लाख (रूपये तेरह लाख मात्र)की धनराशि को, शासनादेश संख्याः 630/XXIV–2/2005 दिनांक 29–4–2005 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी रू0 188.35 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)- एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) - कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराने समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाए।

(7)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9)- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(10)- निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाय।

2- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3- उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखा शीर्षक 4202—शिक्षा खेलकूद कला संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय — 01— सामान्य शिक्षा— आयोजनागत— 202—माध्यमिक शिक्षा—91 — जिला योजना— 9104— जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण (जिला योजना) —24—वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—41/वित्त अनु—3/05 दिनांक 21/10/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्या: 260 (1)/ XXIV-2/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार,उत्तरांचल, देहरादून।
2 निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल—नैनीताल।
5— जिलाधिकारी — नैनीताल।
6— कोषाधिकारी— नैनीताल।
7— जिला शिक्षा अधिकारी— नैनीताल।
8— वित्त अनुभाग—4 /नियोजन प्रकोष्ठ।
9— संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
10— कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
11— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12— बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव